समाहरणालय,मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

निविदा सूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 1316/खाद्य दिनांक 23.02.2016 के आलोक में SECC डाटा के आधार पर NFSA के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र का राशन कार्ड का सत्यापन एवं डाटा संग्रहण प्रपत्र का मुद्रण किया जाना है। इसके अलावा विभागीय पत्रांक 03 दिनांक 01.01.2014 के अलोक में मानक के अनुरुप नही रहने वाले लाभूक परिवारों को हटाये जाने की भी कार्रवाई की जानी है, जिस से संबंधित प्रपत्र सामान्य रुप में मुद्रण किया जाना है।

उपरोक्त कार्य जिला निर्वाचन दर अथवा इससे न्यूनतम दर पर किया जाना है। इस कार्य को करने में इच्छुक संबंधित प्रतिष्ठान अपना आवेदन,पूर्व में किये गये कार्यो के अनुभव संबंधित साक्ष्य, प्रतिष्ठान निबंधीकरण संबंधित सभी वैध कागजातों के साथ दिनांक 12.07.2016 के अपराह्न 05:00 बजे तक जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा में दे सकते है।

विहित प्रपत्र, की प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा में उपलब्ध है, जिसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 521/आ0 मधेपुरा, दिनांक 08.07.2016

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा आपूर्ति

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– 06–विविध–32/2011 3995 खाद्य–पटना/दिनांक– 05/07/16

प्रेषक,
प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:– लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015' के कंडिका – 3 का उप कंडिका – 13, 14 तथा कंडिका– 4 का उप कंडिका– 7, 8, 9 में दिये गये प्रावधान के आलोक में 'बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016' के कंडिका– 21 (i) में अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन पात्र गृहस्थियों की सूची तैयार करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में राशन कार्ड निर्गत करने या राशन कार्ड में उपांतरण करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने एवं प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकृत करते हुए कंडिका– 21 (ii) में निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पात्र आवेदकों की आवश्यक जांच ओर सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करने हेतु निदेश दिया है । साथ ही कंडिका– 21 (iii) में यह भी निदेश दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेंगे जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरूपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाय या पूर्णतया समाप्त हो जाय या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए अनुरोध किया जाय। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन/प्रत्यर्पण एवं रद्द करने के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. RTPS के माध्यम से नये राशन कार्ड का निर्गमन, राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना) एवं राशन कार्ड का प्रत्यर्पण (Surrender) /रद्द किया जाने के लिए ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र का प्रपत्र 'क' अथवा 'ख' में चेक लिस्ट में दिये गये कागजात के साथ RTPS काउंटर पर जमा किया जाएगा ।
2. आवेदन पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।
3. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे ।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।
5. आवेदक द्वारा बिना सही हस्ताक्षर किये हुए या बिना अंगूठे के निशान के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा ।

6. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की बेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपत्र निर्धारित उपरोक्त प्रपत्र के समरूप होने चाहिए ।
7. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिया जायेगा ।
8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3738 दिनांक 21.06.2016 के आलोक में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर SECC डाटा आधारित निर्गत राशन कार्डधारियों का सत्यापन एवं प्रपत्र संग्रहण का कार्य चल रहा है। डाटा सत्यापन का कार्य समाप्त होने तथा e-PDS Portal पर डाटा के अपलोड होने के बाद नया राशन कार्ड निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जाएगी । लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नया राशन कार्ड निर्गत करने, राशन कार्ड में संशोधन करने एवं रद्द करने हेतु RTPS के माध्यम से आवश्यक प्रपत्र, चेक लिस्ट आदि को ऑफ लाईन मोड में लेने की कार्रवाई करने हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से अनुरोध किया जा रहा है । बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से जबतक RTPS के माध्यम से ऑफ लाईन मोड में आवेदन पत्र लेने हेतु कार्रवाई पूर्ण नहीं कर ली जाती है तथा e-PDS Portal पर डाटा का होस्टिंग नहीं हो जाता है जबतक नया राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जाय ।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 523 दिनांक - 11.07.2016

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला/ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सभी संबंधितों के ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा
11.7.16